# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

**पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.**

प्रकरण संख्या –61 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00233

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

*बनाम*

1. ओंकार पुत्र मांगीलाल,
2. बदामबाई पत्नि ओंकार

जातियान मेघवाल निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1 पेरोकार सरकार

## *निर्णय*

दिनांकः– 08 / 07 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी ओंकार पुत्र मांगीलाल, बदामबाई पत्नि ओंकार जाति मेघवाल निवासी गोयन्दा को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1030 / 0.10 हे0, 1050 / 0.09 हे0, 1162 / 0.28 हे0 किता–3 रकबा 0.47 हे0, भूमि दिनांक 02.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री शिवनारायण नागर का वकालतनामा पेश हुआ । अप्रार्थी को कई मौके दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी गत पेशियों से लगातार अनुपस्थित चल रहे है । अतः जवाब का अवसर बन्द किया जाकर अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1030 / 0.10 हे0, 1050 / 0.09 हे0, 1162 / 0.28 हे0 किता–3 रकबा 0.47 हे0, भूमि दिनांक 02.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ओर ना ही उपस्थित हो रहे है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है

जिला कलक्टर
कोटा

। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4 हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1030/ 0.10 हे0, 1050/0.09 हे0, 1162/0.28 हे0 किता–3 रकबा 0.47 हे0, दिनांक 02.12.2010 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही बहस हेतु उपस्थित होने से यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उनको आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर ख0नं0 1030/ 0.10 हे0, 1050/0.09 हे0, 1162/0.28 हे0 किता–3 रकबा 0.47 हे0, भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 02.12.2010 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6 निर्णय आज दिनांक 08.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा